न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— रतन कुमार स्वामी, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 51/2025/अपील

बलकेश पुत्री स्व0 नूरमोहम्मद जाति कसाई निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ जरिये अधिशाषी अधिकारी न0पा0 लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व नामांतकरण संख्या 676 दिनांक 06.12.2022 द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

वकील अपीलांट श्री प्रमोद कुमार मोदी
वकील रेस्पोडेंट श्री रामकरण जोशी

निर्णय **दिनांकः—17.04.2026**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि कस्बा लक्ष्मणगढ की तन में अपीलार्थीनी के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा सं. 1841 क्षेत्रफल 1.15 हैक्टेयर स्थित है। उक्त भूमि अपीलार्थीनी को अपने पिता से सन् 1997 में विरासत में प्राप्तशुदा है। उक्त भूमि में अपीलार्थीनी द्वारा कोई प्लाट नही काटे गये, न ही प्लाटो में कोई बैचान किया गया। इसके बावजूद नगरपालिका लक्ष्मणगढ के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी द्वारा दिनांक 30.09.2022 को एक पत्र तहसीलदार लक्ष्मणगढ को लिखकर कहा कि कृषि भूमि का गैरकृषि परियोजन के लिये हो चुका है, नामान्तकरण नगरपालिका लक्ष्मणगढ के नाम से करने बाबत जारी किया हुआ है। संलग्न सूची अनुसार शेष रहे खसरा नम्बरो का नामान्तकरण न०पा० मण्डल लक्ष्मणगढ के नाम से खातेदारी दर्ज नही हुई है। उक्त आवेदन के अन्त में लिखा गया कि संलग्न सूची के अनुसार शेष रहे खसरा नम्बरो का नामान्तकरण नगरपालिका के नाम से दर्ज करवाने की कार्यवाही करे। उक्त आवेदन प्राप्ति पर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा आवेदन पर ही एक मोहर लगा दी गई और हल्का पटवारी लक्ष्मणगढ को मूल ही नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने हेतु भिजवा दिया गया। इस पत्रांक 3153 दिनांकित 27.10.2022 के अन्तर्गत हल्का पटवारी द्वारा चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण दर्ज कर अधीनस्थ तहसीलदार के समक्ष पेश कर दिया गया और अधीनस्थ अधिकारी द्वारा न्याय नियमो व प्रक्रिया को पूर्णतया अनदेखा करते हुए न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना इसी नामान्तकरण पर स्वीकृत लिखकर अपने लघु हस्ताक्षर कर दिये गये। चुनौतिग्रस्त आदेश पारित करने से पूर्व अपीलार्थीनी को सुनवाई व जवाबदेही का कोई नोटिस नही दिया गया। नामान्तकरण आदेश यंत्रवत रूप में स्वीकृत कर दिया गया। विधि के अनुसार खातेदार को सुनवाई के लिये नोटिस जारी किया जाना आज्ञात्मक है। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण आदेश एक पक्षीय होने से गैर कानूनी है तथा अपास्त किये जाने योग्य है। चुनौतिग्रस्त नामान्तकरण आदेश आरम्भतः ही अवैध शुन्य होने से इसको अपास्त करवाने की कोई विधिक मियाद नही है परन्तु विधिक औपचारिकता की पूर्ति के लिये धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का आवेदन पृथक से मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। विलम्ब जानबूझकर नही किया गया बल्कि प्राथमिक जानकारी विलम्ब से होने के बाद प्रमाणित

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

प्रतिलिपियों में प्राप्ति मे काफी समय लगते हुए काफी तलाश के बाद दिनांक 28.07.2025 को नामान्तकरण व उसके संलग्न पत्रांक की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हुई, जिसके बाद अपीलार्थीनी को अपने अधिवक्ता के माध्यम से चुनौतिग्रस्त आदेश की जानकारी हुई और जानकारी के बाद अन्दर मियाद पेश है। अतः अपीलार्थीनी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर चुनौतिग्रस्त नामांतकरण संख्या 676 दिनांक 06.12.2022 बाबत खसरा नम्बर 1841 तन लक्ष्मणगढ़ की सीमा तक अपास्त किया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया व विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने पूर्वोक्त वर्णित तथ्यों की पुनरावृति करते हुए एवं वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीनी की कब्जा काश्त की भूमि होने के बावजूद अधिशाषी अधिकारी न.पा. लक्ष्मणगढ़ द्वारा बिना किसी प्रकार की सूचना व नोटिस दिये बिना की गई कार्यवाही के आधार पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा तस्दीक किये गये चुनौतीग्रस्त नामांतकरण संख्या 676 दिनांक 06.12.2022 को खसरा नम्बर 1841 तन लक्ष्मणगढ़ की हद तक अपास्त करने का अनुरोध किया है वंही विद्वान अधिवक्ता रेस्पो. का कथन है कि नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ द्वारा विधिवत प्रकिया अपनाते हुए पारित आदेश के आधार पर योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामांतकरण स्वीकृत किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फारमाई जावे।

अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रकरण से सुसंगत तथ्यों पर गौर किये जाने से यह जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात भूमि खसरा नम्बर 1841 रकबा 1.15 है0 वाकै लक्ष्मणगढ़ अपीलार्थीनी की कब्जा कश्त की कृषि भूमि है। वादग्रस्त आराजियात अपीलार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि होने बाबत कथन अधिवक्ता रेस्पो. ने दौराने बहस स्वीकार किया है। योग्य अधिनस्थ तहसीलदार से प्राप्त रिकॉर्ड पत्रावली का अवलोकन किये जाने पर अधिशाषी अधिकारी न.पा.लक्ष्मणगढ़ द्वारा योग्य अधिनस्थ तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ को पत्र कमांक 2886 दिनांक 30.09.2022 जारी कर पत्र के सलंग्न सूची अनुसार सूची में अंकित खसरा नम्बरों का नामांतकरण नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के नाम दर्ज किये जाने हेतु भिजवाया गया है। अपीलाधीन नामांतकरण में वर्णित खसरा नम्बर 1841 की खातेदार अपीलांट को उक्त आराजियात नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ के नाम नामांतकरण दर्ज करने से पूर्व अधिनस्थ तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ द्वारा किसी प्रकार की सूचना व नोटिस दिये सम्बंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार रिकॉर्ड पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन मात्र से जाहिर है कि वादग्रस्त आराजियात के बाबत अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक किये जाने से पूर्व योग्य अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलार्थीनी को किसी प्रकार की सूचना नहीं दी गई है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र के समग्र गुणावगुण पर विचार किये जाने पर अपीलार्थीनी के कब्जे काश्त की भूमि बाबत अपीलार्थीनी को किसी प्रकार की सूचना व नोटिस जारी किये बिना नगरपालिका लक्ष्मणगढ़ द्वारा जारी किये गये पत्र के आधार पर अधिनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलाधीन नामांतकरण तस्दीक किया गया है, जो किसी प्रकार से न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीनी स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामांतकरण संख्या 676 दिनांक 06.12.2022 को खसरा नम्बर 1841 तन लक्ष्मणगढ़ की हद तक निरस्त किया जाता है

निर्णय आज दिनांक 17.04.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतन कुमार स्वामी)
अति0 जिला कलक्टर, सीकर
अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर